

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

नदालत बम हायक कलक्टर मुकाम भीलवाड़ा

कालु


बनाम उहा

मुकदमा प्रखनिपत्र 9 नियम 9
धारा 151


नं. 38 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--


18/3/25 बाद जाँच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई. दर्ज रजिस्ट्री किया जावे। सूचना विपक्षीयणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 24/4/25 को पेश हो।


सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

24/4/25 पत्रावली पेश हुई। जहाँ अधि. उप. अर्जा सं. 1 लगा. 9 के सम्मन का तामील अर्थात् पत्रावली वास्ते तलनी हुत दिनांक 9/5/25 की पेश हो।


24/4/25

9/5/25 पत्रावली पेश हुई। जहाँ अधि. उप. जर्मन पत्र में वादगुह्त भूमि ग्राम समोरी की आसजी नं. 40 रकबा 0.1265 है. भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1297/40 रकबा 0.0994 है. औषो गिड उमीदनाम एवं 1296/40 रकबा 0.0271 है. भूमि गै. कु. शस्ते के रूप में खालान. 1 सिबापत्रक में दर्द लेने की प्रमांती अर्जाओं याधिकबला द्वारा पेश की गरी। वर्तमान वापस्व रिकार्ड अनुसार भूमि के कुछ भूमि नहीं रहे। अर्जाओं याधिकबला द्वारा जर्मन पत्र जारी करने का निर्देश किया। वर्तमान वापस्व रिकार्ड अनुसार वादगुह्त भूमि कुछ भूमि नहीं है। अर्जा द्वारा उस्तुत प्रमांती पत्र का स्वणाधिकार वस अथापालप का नहीं होने से जर्मन का जर्मन पत्र अतर्गत मादेवा 9 नियम

— लगातार — 
9/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

9/12/25 ७ ~~कै~~ अपडेट धारा 151 जा. गिवाही का खासि
फिरा जाता है निम्न बदे इचलास बुनापा गजा
जमावली फैसल कुमार लेकर दाखिल दफतर ही
तका नम्बर से कम है।


9/12/25

सहायक कलक्टर
भीलयाण